



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-364/2022

दिनांक- 02-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- फूलपुर

हत्या में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- दिनांक 06.10.2022 को नीलू सिंह पुत्री विन्ध्याचल सिंह साकिन ताखा पूरब थाना शाहगंज जनपद जौनपुर वर्तमान पता सहायक चीनी आयुक्त गोरखपुर हिन्दी लिखित दिनांकित 06.10.2022 आवेदक श्री विन्ध्याचल सिंह पुत्र स्व0 श्री दयाराम सिंह निवासी ग्राम ताखी पूरब थाना शाहगंज जिला जौनपुर बाबत पुरानी रजिश् व मुकदमा की बात को लेकर विपक्षी आदर्श यादव उर्फ छोटेलाल यादव पुत्र कामता यादव निवासी उसर भादी थाना शाहगंज आदि द्वारा वादी के पुत्र अमित सिंह की स्कार्पियों गाडी को रास्ता अवरूद्ध कर रोक लेने व एक राय होकर गोले बंदी करके गाली गलौज तथा जान मारने की धमकी देते हुये चारों तरफ से घेर लेने, मारपीट करने व विपक्षी संजय यादव व विनोद यादव के ललकारने पर आदर्श यादव उर्फ छोटेलाल यादव उपरोक्त द्वारा जान मारने की नियत से अमित के सर पर फरसे से जोरदार प्रहार करने व बीच बचाव करने पर जान से मारने की धमकी देते हुये चले जाने मारपीट में आई चोटों से अमित के गम्भीर रूप से घायल हो जाने व बेहोश हो जाने के सम्बन्ध में तथा लालबहादुर यादव व प्रमोद यादव विपक्षी गणों के साथ घटना के षडयन्त्र करने में साथ होने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 322/22 धारा 147,148,149,307,323,342,504,506,120 बी भादवि पंजीकृत किया गया था जिसमें मजरूब अमित कुमार सिंह पुत्र विन्ध्याचल सिंह साकिन कटार थाना फूलपुर आजमगढ़ की दौराने इलाज मृत्यु होने के उपरान्त मुकदमा उपरोक्त में धारा 307 भादवि का लोप करते हुए धारा 302 भादवि में तरमीम किया गया। अग्रिम विवेचना प्र0नि0 अनिल कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जायेगी।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 02.11.2022 को प्र0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त लालबहादुर पुत्र स्व0 निहोर यादव निवासी खानजहांपुर थाना फूलपुर जनपद आजगढ सरायमीर रेलवे स्टेशन के पास से समय करीब 09.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

सम्बन्धित अभियोग-

मु0अ0सं0- 322/22 धारा 147, 148, 149, 302, 323, 342, 504, 506, 120 बी भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 93/22 धारा 352/504/506 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
 2. मु0अ0सं0 322/22 धारा 147, 148, 149, 302, 323, 342, 504, 506, 120 बी भादवि थाना फूलपुर आजमगढ
- ### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. लालबहादुर पुत्र स्व0 निहोर यादव निवासी खानजहांपुर थाना फूलपुर जनपद आजगढ उम्र 59 वर्ष
- ### गिरफ्तार करने वाली टीम

1. प्र0नि0 अनिल कुमार सिंह का0 आदेश यादव का0 विनोद यादव का0 प्रदीप यादव थाना -फूलपुर, आजमगढ ।

थाना- मुबारकपुर

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 11.10.2022 को प्र0चौकी कस्बा मुबारकपुर उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा समौधी तिराहे पर देख भाल क्षेत्र चेकिंग संदीग्ध व्यक्ति वाहन कर रहे थे कि सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति एक मोटर साइकिल से अवैध असलहा व कारतूस लिये हुए है शाहगढ़ की तरफ से आ रहे है जो किसी घटना को अंजाम देने के फिराक मे है अगर जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते है। मुखबिर की बात पर विश्वास कर बताये गये रास्ते पर जामिया बाद चौराहे से पहले ही आती हुई मोटर साइकिल को रोकने का प्रयास किया गया मौके पर ही गिर गये कि एक बारगी घेर कर अभियुक्त 1. सरफरोज अहमद पुत्र इम्तेयाज अहमद सा0 फखरुद्दीनपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 2. बदरेआलम उर्फ राजा पुत्र मो0 हसनैन सा0 सठियांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ कोपकड़ लिया गया। जिनके कब्जे से 01 अदद तमंचा 0.303 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 0.303 बोर की बरामदगी की गयी। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 338/2022 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री गुलाम अख्तर अली द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 02.11.2022 को चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर उ0नि0 राजीव कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल के समौधी तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे कि सूचना पर जामिया बाद चौराहे से 50 मीटर आगे पहुंच कर नाजायज तमंचा .303 बोर व 02 अदद कारतूस .303 बोर के साथ मोटर साइकिल सवार दो नफर अभियुक्त क्रमशः 1. सरफरोज अहमद पुत्र इम्तेयाज अहमद सा0 फखरुद्दीनपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 2. बदरेआलम उर्फ राजा पुत्र मो0 हसनैन सा0 सठियांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को जामिया बाद चौराहा से 50 मीटर आगे से समय करीब 08.05 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार विधिक

कार्यवाही करते हुए थाना हाजा पर लाकर दाखिला कराया गया। अग्रेतर कार्यवाही विवेचनाधिकारी उ0नि0 श्री गुलाम अख्तर अली द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त:- 1. सरफरोज अहमद पुत्र इम्तेयाज अहमद सा0 फखरुद्दीनपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 2. बदरेआलम उर्फ राजा पुत्र मो0 हसनैन सा0 सठियांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी:- अभियुक्त सरफरोज अहमद पुत्र इम्तेयाज अहमद सा0 फखरुद्दीनपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 01 अदद तमंचा .303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर तथा अभियुक्त बदरेआलम उर्फ राजा पुत्र मो0 हसनैन सा0 सठियांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर की बरामदगी की गई।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 338/2022 धारा-3/7/25 आर्म्स थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 181/2021 धारा 3/5ए/8 गो-वध निवारण अधि0 थाना मुबारकपुर आजमगढ़ बनाम सरफरोज अहमद पुत्र इम्तेयाज अहमद सा0 फखरुद्दीनपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0- 267/2021 धारा 3/5ए/8 गो-वध निवारण अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ बनाम बदरेआलम उर्फ राजा पुत्र मो0 हसनैन सा0 सठियांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 सुधीर कुमार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 सद्दाम हुसैन अंसारी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 विकास मल्ल थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- कप्तानगंज

वांछित एक अभियुक्ता गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना /इतिहास का विवरण- दिनांक 12.01.2013 को वादी मुकदमा गुलाब सिंह पुत्र स्व0 भागवत सिंह पिपरी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि मंजू सिंह पत्नी रामबहादुर सिंह निवासी मैरी रंजीत थाना जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर द्वारा दस्तावेजो का हेरा फेरी कर जमीन वरासत करायी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 32/2013 धारा 419/420/467/468/471 भा.द.वि. पंजीकृत किया गया था। जिसकी आंशिक विवेचना प्रचलित थी।

2.गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 02.11.2022 को उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता मंजू सिंह पत्नी रामबहादुर सिंह निवासी मैरी रंजीत थाना जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर का NBW के तामिला में थाना स्थानीय से थाना जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर पहुंचे। जहां थाने से का0 विपिन पाल व का0 अभिनीष पाल को साथ लेकर अभियुक्ता के घर ग्राम मैरी रंजीत पहुंचे जहां एक महिला जो घर के बाहर बैठी थी जिससे नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम मंजू सिंह पत्नी रामबहादुर सिंह निवासी मैरी रंजीत थाना जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर बताया। जिसे कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 11.10 बजे हिरासत पुलिस लिया अभियुक्ता के गिरफ्तारी की सूचना मौके पर ही अभियुक्त के पति रामबहादुर सिंह को दी गयी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 32/13 धारा 419/420/467/468/471 IPC थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्ता- मंजू सिंह पत्नी रामबहादुर सिंह निवासी मैरी रंजीत थाना जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती हे0का0 वीरेन्द्र यादव म0का0 दुर्गेश कुमारी थाना कप्तानगंज आजमगढ़ ।

थाना सिधारी

धोखाधड़ी में शामिल एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना—दिनांक 09.09.2022 को वादी मुकदमा श्री अतहर पुत्र सलाहुद्दीन साकिन गौरडीह खालसा, थाना- सिधारी, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि प्रतिवादी 1.ईश्वरचन्द पुत्र शिवप्रसाद 2.शिवप्रसाद पुत्र रामकुसुन निवासी गण ममरखापुर थाना सिधारी आजमगढ़ आदि 08 नफर द्वारा जमीन बैनामा के नाम पर आपस मे साजिश करके वादी को क्षति पहुँचाने के नियत से प्रार्थी को धोखा देकर 78 लाख रुपये हड़प लिया गया तथा आवेदक के भाई अशरफ द्वारा बैनामे करने हेतु कहने पर जबरदस्ती गाड़ी मे बैठाकर अपहरण किया गया, के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 334/22 धारा 419/420/406/504/506/364 भादवि बनाम 1.ईश्वरचन्द पुत्र शिवप्रसाद आदि 08 नफर के पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही थी ।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 02.11.2022 को व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त शिवप्रसाद तिवारी पुत्र रामकिसुन तिवारी उम्र करीब 57 वर्ष सा0 ममरखापुर थाना सिधारी आजमगढ़ को उसके घर ग्राम ममरखापुर से समय 13.20 बजे गिरफ्तार किया गया तथा वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 334/22 धारा 419/420/406/504/506/364 भादवि थाना सिधारी

आपराधिक इतिहास

मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त

1. शिवप्रसाद तिवारी पुत्र रामकिसुन तिवारी उम्र करीब 57 वर्ष सा0 ममरखापुर थाना सिधारी आजमगढ़ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण
1. व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
2. का0 सतीश सिंह बघेल थाना सिधारी आजमगढ़
3. का0 शैलेन्द्र यादव थाना सिधारी आजमगढ़
4. का0 मनीष कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
5. म0कां0 म0का0 प्रिया सिंह थाना सिधारी आजमगढ़